

सं. १०८५

14/06/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उषा
विश्वकर्मा के माध्यम पुनः पेश करने
के लिये अपाधिकृत से अनुरोध अवसर
दिया जाकर पत्रावली आई. नं. दिनांक

22/06/22 को पेश हो।
(Signature)

22/06/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उषा
पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
आई. नं. दिनांक 18/08/22 को पेश हो।
(Signature)

18/08/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उषा
प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र वगैरे विप्रार्थी संख्या
14 माला रास में होने पर उनके माध्यम मुकाम की हकी
व संशोधित स्वीकृत पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली
दिया जात है। पत्रावली वगैरे माध्यम के माध्यम
व शोध विप्रार्थीगण के माध्यम पुनः पेश करने के लिये
अपाधिकृत से अनुरोध तथा अवसर दिया जाकर आई. नं.
दिनांक 31/09/22 को पेश हो।
(Signature)

07/09/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीर्घ काचों में व्यस्त है, मिसल इलतबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आई. नं. दिनांक 07/10/22 को पेश हो।
(Signature)

04/10/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उषा
विप्रार्थीगण वगैरे विप्रार्थी सं. 14 माला रास के माध्यम
मुकाम के माध्यम Reg. No. से जारी हुई, पत्र।
जिसे शामिल पत्रावली, दिया जात है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> पेमाराम वगताराम भीमाराम पि. पूनमाराम जीणी पत्नी पूनमाराम हरीराम चेतनराम अर्जनराम सवजी अमराराम पि. सोभाराम वाली पत्नी सोभाराम मेघाराम हदाराम केवाराम मानाराम पूराराम मेवाराम पीराराम खंगारराम पि. हेमला टीकमाराम पुत्र अचलाराम मेवाराम प्रतावाराम शंकराराम लाखाराम पि. लालाराम अमरां पत्नी सालू हेमी पत्नी खंगार धापू पत्नी मेवा जातियान कोली निवासी पांचरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> निम्वाराम रामसा नगाराम पि. गिरधारी सरदाराराम अना मेवाराम खंगार पि. नवलाराम पार्वती पत्नी विरधाराम पुरखाराम पुत्र सूराराम चमना अचलाराम शंकराराम पि. बरजांगा भोजाराम पुत्र भाणीया मालाराम पुराराम पि. हमीराराम जातियान कोली निवासी पांचरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
--	--------------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 226/2022

दिनांक : 04.10.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार हल्का फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 121 रकबा 01.07 बीघा, खसरा संख्या 122 रकबा 62.10 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सहायित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक / भू.अ. / 2022 / 2009-15

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण पेमाराम पुत्र पूनमाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण निम्वाराम पुत्र गिरधारी वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा / चौहटन / वाखासर / बीजराड़ / धोरीमन्ना।

(सुमती भू.अ. कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), सेड़वा
0/सेड़वा

दिनांक 07/10/22

(सुमती भू.अ. कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 226/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पेमाराम वगैरा बनाम निम्बाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – मुकीम खान समेजा

निर्णय

दिनांक – 04.10.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 121 रकबा 01.07 बीघा किरम गै.मु. ढाणी खसरा संख्या 122 रकबा 62.10 बीघा किरम बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 121 रकबा 01.07 बीघा किरम गै.मु. ढाणी खसरा संख्या 122 रकबा 62.10 बीघा किरम बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा